"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2017 — आषाढ़ 13, शक 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–29/2015/सत्रह/एक. — छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम, 2013 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 (क्र. 23 सन् 2010) की धारा 18 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों की अनुसूची में,–

अनुसूची–1 में,–

(क) अध्याय क "क्लीनिक के लिए मानक" में, सरल क्रमांक 2.2 का लोप किया जाये।

(ख) अध्याय ङ "अस्पताल और नर्सिंग होम" के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"च. आयुष क्लीनिक के लिये मानक

1. न्यूनतम आवश्यक अधोसंरचना :

1.1 स्थल और आसपास का क्षेत्र–

1.1.1 क्लीनिक, किसी खुली जगह, जिसके आस–पास स्वच्छता हो, पर स्थापित किया जाएगा।

1.1.2 क्लीनिक, सार्वजनिक शौचालय अथवा विषैली गैस उगलने वाली फैक्ट्री/स्थापना से लगा हुआ नहीं होना चाहिए।

1.2 भवन–

1.2.1 क्लीनिक के लिए प्रयुक्त भवन के लिये संबंधित नगरपालिक उप–विधियों, जो समय–समय पर प्रवृत्त हों, का अनुपालन करना होगा।

1.2.2 क्लीनिक भवन का प्रवेश द्वार, निःशक्तजनों हेतु सुविधाजनक होना चाहिए।

1.2.3 क्लीनिक के कक्ष अच्छी तरह से हवादार, रोशनीयुक्त होने चाहिए और उसे स्वच्छ एवं साफ–सुथरी स्थिति में रखा जाना चाहिए।

1.2.4 फर्श जीवाणुनाशक घोल से धोने योग्य होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार से धूल का जमाव या संग्रहण न हो।

2. आवश्यक स्थानः

2.1 व्यक्तिगत आयुष क्लीनिक– इसमें निम्नलिखित न्यूनतम मानक होंगे :–

*परामर्श/उपचार कक्ष एवं प्रतिक्षालय– न्यूनतम 150 वर्ग फुट

3. आपातकालीन प्राथमिक उपचार :

3.1 प्रत्येक चिकित्सक की व्यावसायिक बाध्यता है कि वह जीवन की सुरक्षा के लिए अपनी सेवाए उपलब्ध कराएं। सभी क्लीनिक, आपातकालीन चिकित्सा के मामले में तत्काल प्राथमिक उपचार (चिकित्सा सहायता) अनिवार्य रुप से प्रदान करेंगे। सभी आयुष क्लीनिक, जो चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराते हैं और इन नियमों के अधीन पंजीकृत हैं, में जीवन रक्षक औषधियां होनी चाहिए।

4. प्रवेश क्षेत्र :

4.1 संकेत चिन्ह

4.1.1 संस्था में उपलब्ध सेवाओं और समय–सारणी के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाले बोर्ड/चार्ट।

4.1.2 प्रोप्राईटर का नाम, डॉक्टर का नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता, प्रदत्त चिकित्सा की पद्धति, पता, टेलीफोन नं0, ई–मेल आई0डी0 (यदि कोई है) को दर्शाने वाले बोर्ड या चार्ट।

4.2 बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी)

4.2.1 विभिन्न मेडिकल विधाओं के लिए क्लीनिक– यदि किसी स्थापना में एक से अधिक क्लीनिक हैं, तो परीक्षण के लिए पृथक व्यवस्था के साथ क्लीनिक में विभिन्न विधाओं के लिए पृथक –पृथक कक्ष होने चाहिये, जिससे मरीज की एकांतता (गोपनीयता) सुनिश्चित की जा सके। कैबिन में डॉक्टर की टेबल, कुर्सी, मरीज की कुर्सी, अटेन्डेण्ट की कुर्सी एवं वाशबेसिन उपलब्ध होने चाहिए।

4.2.2 पालीक्लीनिक होने की स्थिति में, परिसर में पुरुष और महिलाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय तथा एकल क्लीनिक होने की स्थिति में, सामान्य शौचालय होना चाहिए।

4.2.3 यदि परिसर में फार्मेसी उपलब्ध है, तो मरीजों के सुविधाजनक सुगम्य क्षेत्र में स्थित होना चाहिए।

4.2.4 घाव की ड्रेसिंग के लिये वहाँ सुविधा/व्यवस्था होनी चाहिए।

5. मानव संसाधनः क्लीनिकल सेवाएं, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अर्हता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ही प्रदान की जायेंगी।

6. सहायक सेवाएं :

6.1 विद्युत : बिजली की सतत् आपूर्ति एवं बिजली पूर्ति के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए।

6.2 जल आपूर्ति : सुरक्षित पीने योग्य पानी तथा हाथ धोने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

7. अपशिष्ट (कचरे) का निपटान : अस्पताल में अपशिष्ट का निपटारा, जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार किया जायेगा। जीव चिकित्सा अपशिष्ट, नुकीले औजारों एवं सुईयों के सुरक्षित निपटारे एवं पृथक्करण हेतु व्यवस्था, या तो स्वयं के संसाधनों या सामान्य जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के समझौते के माध्यम से किया जायेगा।

छ. आयुष अस्पतालों के लिए मानक

1. आयुष अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई गई मूलभूत न्यूनतम सुविधाओं में सम्मिलित हैं :

1.1 आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा– इस अनुसूची के भाग च में आयुष क्लीनिक के लिए यथा विहित।

1.2 अंतःरोगी (इन्डोर) भर्ती सुविधाएं– अस्पताल, विभिन्न विधाओं के लिए अंतःरोगी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

1.3 अन्य सेवाएँ :

1.3.1 इस अनुसूची के भाग च में आयुष क्लीनिक के लिए विहित मानकों के अनुसार ओ.पी.डी. ब्लॉक के लिए चिन्हांकित स्थल होना चाहिए।

1.3.2 अंतःरोगियों की आपातकालीन मांगों में उपचार करने के लिए एक चिकित्सा व्यवसायी (मेडिकल प्रैक्टिशनर) की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। डे केयर सेंटर उपलब्ध होने पर, चिकित्सा व्यवसायी की 24 घंटे ड्यूटी अनिवार्य नहीं होगी।

2. ओ.पी.डी. ब्लॉकः न्यूनतम आवश्यक अधोसरंचना नीचे उल्लिखित है :

2.1 आयुष क्लीनिक के लिए यथा विहित

2.2 पंचकर्म संस्था हेतु

1. दो कर्म हेतु	–	200 वर्गफुट
2. दो कर्म से अधिक के मामले में, प्रत्येक कर्म हेतु पृथक शाखा/कक्ष (आवश्यक वाशबेसिन, प्रसाधन कक्ष संलग्न हों)	–	60 वर्गफुट
3. उपकरण कक्ष	–	50 वर्गफुट
4. फार्मेसी कक्ष	–	50 वर्गफुट
5. किचन कक्ष	–	50 वर्गफुट

2.3 क्षारसूत्र संस्था हेतु

1. क्षारसूत्र बंधन कक्ष (आवश्यक वाशबेसिन, प्रसाधन कक्ष संलग्न हों)	–	100 वर्ग फुट
2. उपकरण कक्ष	–	100 वर्गफुट
3. फार्मेसी कक्ष	–	50 वर्गफुट
4. किचन कक्ष	–	50 वर्गफुट
5. चेंजिंग रूम	–	30 वर्गफुट

2.4 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्था हेतु

1. योग हेतु कक्ष (आवश्यक वाशबेसिन, प्रसाधन कक्ष संलग्न हों)	–	200 वर्ग फुट (अच्छी हवादार)
2. उपचार कक्ष	–	100 वर्गफुट के 5 कक्ष (500 वर्गफुट)
3. उपकरण कक्ष	–	50 वर्गफुट
4. स्टोर कक्ष	–	50 वर्गफुट

3. प्रवेश क्षेत्र (जोन) : क्लीनिक के लिए यथा विहित

4. अंतः रोगी विभाग :

4.1 वार्ड–

क. वार्ड में बिस्तरों के मध्य पर्याप्त स्थान रहना चाहिए (इस अनुसूची के भाग छ के खण्ड 8 में वर्णित अनुसार)

ख. पुरूषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग प्रसाधन

ग. संक्रमित मरीजों के लिए अलग–अलग कक्ष

घ. अग्निशमक उपकरण/बाह्य निकास योजना/प्रस्थान योजना तथा फायर अलार्म

ङ आपातकालीन ट्रे

च. पुरूषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग वार्ड

4.2 ऑपरेशन थिएटर जोन : (केवल क्षार–सूत्र संस्था हेतु लागू)–

क. पूर्व ऑपरेशन कक्ष/क्षेत्र

ख. स्टॉफ के लिए चेंजिंग रूम

ग. सफाई (स्क्रब) क्षेत्र

घ. स्टरलाइजेशन (विसंक्रमण) कक्ष

ङ भण्डार (स्टोर)

च. गर्म पानी हेतु व्यवस्था

छ. ऑपरेशन टेबल

ज. छायाहीन लैम्प

झ. पोस्ट–ऑपरेशन (रिकवरी) कक्ष

4.3 लेबर रूम (प्रसव कक्ष) : इस अनुसूची के भाग ग में प्रसूति गृह के लिए विहित अनुसार।

4.4 नवजात शिशु देखभाल इकाईः इस अनुसूची के भाग ग में प्रसूति गृह के लिए विहित अनुसार।

(खण्ड 4.4 व 4.5, अस्पताल में प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही लागू होंगे)

5. सहायक सेवाएं तथा स्टाफ के लिए आवश्यक अपेक्षाएं :

5.1 सहायक सेवाएं

क. आहारः– आहार या तो बाहर से मंगाया जा सकेगा अथवा भोजन पकाने के लिए पर्याप्त स्थान पृथक् से उपलब्ध कराया जायेगा। मरीजों के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

ख. लॉण्ड्री :– गंदे और साफ कपड़ों तथा संक्रमित/दूषित और गैर–संक्रमित/गैर–दूषित कपड़ों के लिए भी अलग–अलग भण्डारण की सुविधा होगी।

ग. बिजली :– बिजली की सतत् आपूर्ति एवं बिजली पूर्ति के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए।

घ. जल आपूर्ति :– सुरक्षित पेयजल तथा हाथ धोने की समुचित व्यवस्था होनी चहिए।

ङ अग्निशमन यंत्र :– सभी अस्पतालों से अग्निशमन यंत्रों जैसे, नगरपालिक प्राधिकरणों द्वारा यथा निर्धारित आग बुझाने के यंत्रों को रखने तथा संधारण करने की अपेक्षा की जायेगी।

5.2 स्टॉफ के लिए आवश्यक अपेक्षाएं :

क. नियोजित स्टॉफ को किसी भी संक्रामक रोग से मुक्त होना चाहिए और उनकी ड्यूटी की प्रकृति के अनुसार उन्हें स्वच्छ उपयुक्त ड्रेस प्रदान किया जाना चाहिए।

ख. नियोजन के समय कामगारों की मेडिकल जॉच की जायेगी और स्टॉफ की सावधिक जांच भी की जायेगी।

ग. स्टॉफ को मेडिकल जोखिमों के लिए आश्वस्त किया जाना चाहिये और नियोजन के वैधानिक नियमों का पालन किया जाना चाहिये।

6. उपकरण :

6.1 पंचकर्म संस्था हेतु उपकरणों की सूची–

(कर्म के अनुसार आवश्यक उपकरण रखना होगा)

क. अभ्यंग–टेबल

ख. सर्वांग स्वेदन यंत्र

ग. नाड़ी स्वेदन यंत्र

घ. रूक्ष स्वेदन यंत्र

ङ वमन यंत्र

च. वस्ति यंत्र

छ. शिरोधारा यंत्र

ज. शिरावस्ति यंत्र

झ. इलेक्ट्रिक गीजर

6.2 क्षार–सूत्र संस्था हेतु उपकरणों की सूची–

क. विभिन्न आकारों के प्रोक्टोस्कोप

ख. विभिन्न आकारों के आर्टरी फोरसेप

ग. विभिन्न आकारों के मासकिटो फोरसेप

घ. विभिन्न आकारों के निडिल–होल्डिग फोरसेप

ङ एनल डायलेटर/रिट्रेक्टर

च. सर्जिकल काटरी

छ. आवश्यक प्रोब्स

ज. क्यूरेटर

झ. विभिन्न आकारों के सर्जिकल ब्लेड

ञ. ब्लेड हेन्डल

ट. विभिन्न आकारों के सीजर

ठ. स्पंज होल्डिग फोरसेप

ड. निडिल फोरसेप

ढ. सक्शन मशीन

ण. स्टीच कटर

त. सर्जिकल ट्रे

6.3 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्था हेतु उपकरणों की सूची–

क. स्टीमबाथ एपरेटस

ख. सनबाथ एपरेटस

ग. एनिमा सेट

घ. स्पाइनलबाथ टब

ङ हॉट एण्ड कोल्ड हिपबाथ टब

च. फुलबाथ टब

छ. मसाज टेबल

ज. हाट एण्ड कोल्ड फोमेनटेशन एपरेटस

झ. फूटबाथ एपरेटस

7. आयुष अस्पतालों के मामले में मानव संसाधन की आवश्यकता :

अस्पताल, जहां सुपर–स्पेशिलिटी/मल्टी–स्पेशिलिटी सेवायें प्रदान की जाती हैं, संबद्ध विधाओं के विशेषज्ञों को अपने वेतन पत्रक में अथवा पैनालिस्ट के रूप में रखा जाना होगा। ऐसे विशेषज्ञों के लिये आवश्यक न्यूनतम योग्यता, इस अनुसूची के भाग ङ के खण्ड 7 की सारणी में उपदर्शित अनुसार होगी।

7.1 रेसीडेन्ट मेडिकल ऑफिसर/जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर– प्रत्येक अस्पताल/ नर्सिंग होम में प्रत्येक 20 बिस्तरों के लिये कम से कम एक रेसीडेन्ट मेडिकल ऑफिसर/जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर आवश्यक होगा।

7.2 नर्सिंग स्टॉफ तथा अन्य सहायक स्टॉफ– न्यूनतम नर्सिंग तथा अन्य सहायक स्टॉफ नीचे दर्शाये गये अनुपात में होंगे :

स. क्र.	अस्पताल में उपलब्ध स्टाफ की श्रेणी*	कितने मरीजों के लिए	प्रदाय की जाने वाली संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नर्स/मिडवाइफ/पंचकर्म सहायक/क्षार सूत्र सहायक	20 बिस्तर या इसका भाग	1
2.	जनरल ड्यूटी अटेन्डेन्ट	20 बिस्तर या इसका भाग	1
3.	स्वीपर	10 बिस्तर या इसका भाग	1
	*यह 08 घंटे (प्रति शिफ्ट) के अनुसार होगी।		

8. भौतिक मानक :

क्लीनिकल स्थापना के लिए क्षेत्रफल का विनिर्देश

स. क्र.	मद	न्यूनतम अपेक्षित क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)
1.	वार्ड में प्रति बिस्तर न्यूनतम फ्लोर स्थान (स्पेस)	एक बिस्तर के लिए 100 वर्गफुट तथा कमरे मे प्रत्येक अतिरिक्त बिस्तर के लिए अतिरिक्त 60 वर्गफुट
2.	दो बिस्तरों के मध्य की न्यूनतम दूरी	6 फुट
3.	बिस्तर और दीवार के मध्य की न्यूनतम निकासी	60 मि.मी.
4.	बॉथ और टॉयलेट	36 वर्गफुट
5.	प्रसाधन तथा बाथ की संख्या	प्रति 6 बिस्तर के लिए 1
6.	वॉश बेसिनों की संख्या	प्रति 10 बिस्तर के लिए 1
7.	स्टराइल जोन	140 वर्गफुट (केवल क्षारसूत्र/संस्था हेतु लागू)
8.	औजार स्टरलाइजेशन के लिए क्षेत्रफल	50 वर्गफुट (केवल क्षारसूत्र/संस्था हेतु लागू)
9.	रसोई के लिए क्षेत्रफल (20 बिस्तरों से अधिक का नर्सिंग होम)	80 वर्गफुट
10.	डॉक्टर का ड्यूटी रूम	100 वर्गफुट (टॉयलेट सहित)
11.	नर्सेस स्टेशन	100 वर्गफुट (टॉयलेट सहित)
12.	वार्ड स्टोर	100 वर्गफुट

9. आपातकालीन मेडिकल सेवाएं :

9.1 प्रत्येक आयुष अस्पताल, जहां पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर संलग्न हो, मरीज की वित्तीय स्थिति पर विचार किये बिना प्राथमिक रूप से, आपातकालीन मरीजों को सेवा एवं मूलभूत जीवन रक्षक सहयोग (उपचार) प्रदान करेगा और यदि, आवश्यक हो, तो उसे सबसे नजदीकी निजी/सार्वजनिक अस्पताल में बीमारी के बारे में उचित मेडिकल रिपोर्ट के साथ यथासंभव शीघ्र रिफर करेगा। आपातकालीन उपचार के दौरान स्टैण्डर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा।

9.2 प्रत्येक आयुष अस्पताल, प्रशिक्षित मेडिकल और पैरामेडिकल कर्मी सहित सभी मूलभूत आपातकालीन जीवन रक्षक सहयोग हेतु सभी उपकरण रखेंगे।

9.3 प्रत्येक आयुष अस्पताल को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने मरीजों को अनिवार्य रूप से युक्तिसंगत दवाईयां, पर्ची में लिखकर देंगे और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (क्र. 23 सन् 1940) के प्रावधानों का पालन करेंगे।

9.4 प्रत्येक आयुष अस्पताल, आपदा या आपातकाल में जीवन रक्षा हेतु उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाएं अर्पित करने के लिए व्यावसायिक रूप से बाध्य होंगे।

10. अपशिष्ट (कचरे) का निपटान.– अस्पताल में अपशिष्ट का निपटारा, जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार किया जायेगा। जीव चिकित्सा अपशिष्ट, नुकीले औजार एवं सुईयों के सुरक्षित निपटान एवं पृथक्करण हेतु व्यवस्था, या तो स्वयं के संसाधनों या सामान्य जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के समझौते के माध्यम से किया जायेगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 21st June 2017

NOTIFICATION

No. F-1-29/2015/17-1. — The following draft of amendment in the Chhattisgarh State Upcharyagriha Tatha Rogopchar Sambandhi Sthapanaye Anugyapan Niyam, 2013, which the State Government in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Chhattisgarh State Upcharyagriha Tatha Rogopchar Sambandhi Sthapanaye Anugyapan Adhiniyam, 2010 (No. 23 of 2010), proposes to make, is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 18 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours in office of the Principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,-

In Schedule-I,-

(a) in Chapter A "STANDARD FOR CLINICS", serial number 2.2 shall be omitted;

(b) after Chapter E "HOSPITALS AND NURSING HOMES", the following shall be added, namely :-

"F. STANDARD FOR AYUSH CLINIC

1. Minimum Infrastructure Requirement :

1.1 Location and Surroundings-

1.1.1 The clinic shall be located in an open place, having clean surroundings.

1.1.2 The clinic shall not be adjacent to public lavatory or to a factory/establishment emitting obnoxious odour.

1.2 Building-

1.2.1 The Building used for the clinic shall comply with the relevant municipal bye-laws enforced from time to time.

1.2.2 The access to the clinic building shall be friendly for the persons with disability.

1.2.3 The rooms of the clinic shall be well ventilated, lighted and shall be kept in clean and hygienic conditions.

1.2.4 The flooring shall be washable with disinfectants such as not to permit retention or accumulation of dust.

2. Space Requirements :

2.1 Individual Ayush Clinic- It shall have the following minimum standards:-

- Consultation/Treatment room and waiting room – minimum 150 sq. ft

3. Emergency First Aid :

3.1 Every Doctor has a professional obligation to extend their services to protect life. All the clinics must provide immediate First aid in the cases of medical emergency. All Ayush clinics providing medical treatment and are registered under these rules must have life saving medicine.

4. Entrance Zone :

4.1 Signage

4.1.1 Boards/Charts providing information regarding the services available and the timings of the institute.

4.1.2 Boards or Charts showing Name of the Proprietor, Name of the doctor, their educational qualification, stream of medicine practised, Address, Telephone number, email Id (if any).

4.2 Outpatient Department (O.P.D.)

4.2.1 Clinic for various medical disciplines - If there are more than one clinic in an Establishment then there should be separate cabins for various disciplines in the clinic with separate provision for examination in order to ensure privacy to the patient. The cabins should be provided with Doctor's Chair Table, Patients Chair, Attendants' Seat, and Wash Basin.

4.2.2 Separate toilets for male and female in the premises in case of Polyclinics and common toilet in case of a single clinic.

4.2.3 If there is a pharmacy in the premises, it should be located in an area conveniently accessible to the patients.

4.2.4 Facility / arrangement for dressing of wound should be there.

5. Human Resource : Clinical services shall only be provided by a qualified medical practitioner as per the provisions of the Act.

6. Support Services :

6.1 Electricity : There should be proper arrangement for regular supply of electricity and power backup.

6.2 Water Supply - There should be proper arrangements for safe drinking water and washing hands.

7. Waste Disposal : The Disposal of wastes in the hospital shall be in accordance with Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rule, 1998. There shall be arrangement for segregation and safe disposal of biomedical wastes, sharp tools and syringes either by their own resources or through tie-up with Common Biomedical Waste Treatment Facilities.

G. STANDARD FOR AYUSH HOSPITALS

1. The Basic Minimum Facilities provided by Ayush Hospitals includes:

1.1 Emergency First Aid - As described for an Ayush clinic in Part F of this Schedule.

1.2 Inpatient (Indoor) Admission facilities - The Hospital shall provide inpatient (indoor) facilities for various disciplines.

1.3 Other Services:

1.3.1 The facility shall have ear-marked space for OPD block as per standards prescribed for Ayush clinics in Part F of this Schedule.

1.3.2 Services of one Medical Practitioner on duty shall be available 24hrs for attending emergency calls of indoor patients. 24hrs duty of Medical Practitioner shall not be compulsory in case of availability of Day Care Centers.

2. O.P.D. Block: Minimum infrastructure required are mentioned below :

2.1 As Prescribed for Ayush Clinic

2.2 For Panch Karma Institution

1. For two karma - 200 sq.ft.

2. In case more than two karma then separate section

	/Room for each karma		
	(Attached washbasin, toilet required)	-	60 sq.ft.
3.	Equipment Room	-	50 sq.ft.
4.	Pharmacy Room	-	50 sq.ft.
5.	Kitchen Room	-	50 sq.ft.
2.3	For Kshaar Sootra Institution		
1.	Kshar sootra dressing-room		
	(Attached Wash-basin, Toilet required)	-	100 sq.ft.
2.	Equipment Room	-	100 Sq.ft.
3.	Pharmacy Room	-	50 sq.ft
4.	Kitchen Room	-	50 sq.ft.
5.	Changing Room	-	30 Sq.ft.
2.4	For Yoga & Naturopathic Institution		
1.	Room for yoga		
	(Attached wash basin, toilet required)	-	200 sq.ft.(well ventilated)
2.	Treatment Room	-	5 rooms of 100 sq.ft (500 sq.ft.)
3.	Equipment Room	-	50 sq.ft.
4.	Store Room	-	50 sq.ft.

3. Entrance zone: As prescribed for clinic.

4. Inpatient Department :

4.1 Ward-

a. The wards should have enough space between beds (as described in clause 8 of Part G of this Schedule)

b. Separate toilets for males and females

c. Separate room for infectious patients.

d. Fire fighting equipments/evacuation plan/exit plan and fire alarm.

e. Emergency Tray

f. Separate wards for male and females.

4.2 Operation theatre zone: (Applicable only for Kshaar Sootra institution) -

a. Pre-Operative room/Area

b. Changing room for staff

c. (Cleaning) Scrub Area

d. Sterilization Room

e. Store

f. Provision for hot water

g. Operation Table

h. Shadow Less Lamps

i. Post-Operative (Recovery) Room

4.3 Labour Room (Delivery Room) - As prescribed for Maternity Homes in Part C of this Schedule.

4.4 New Born Baby Care Unit - As prescribed for Maternity Homes in Part C of this Schedule. (Clause 4.4 and 4.5 shall only be applicable in case delivery provided in hospital facilities)

5. Support Services and Necessary Requirements For Staff:

5.1 Support Services

a. Diet:- Diet may either be outsourced or adequate separate space for cooking shall be provided. Hygienic food as advised by physicians shall be made available to the patients.

b. Laundry:- There shall be separate storage facility for dirty and clean clothes and also for infected/contaminated and non-infected /non-contaminated clothes.

c. Electricity:- There should be proper provision for continuous supply of electricity and power back up.

d. Water Supply:- There should be proper arrangements for safe drinking water and washing hands.

e. Fire Fighting equipments:- All hospitals are required to have and maintain fire fighting equipments like fire Extinguishers as prescribed by the Municipal Authorities.

5.2 Necessary requirements for staff :

a. The staff employed should be free from any contagious disease and shall be provided with clean uniforms suitable to the nature of their duties.

b. The workers shall be medically examined at the time of employment and periodical examination of the staff should be done.

c. Staff should be ensured for medical hazards and statutory rules of employment should be followed.

6. Equipment :

6.1 List of Equipments for Panch Karma Institution-

(Necesssary Equipments shall be kept according to Karma)

a. Abhyang - Table

b. Sarvang Svedan Yantra

c. Nadi Svedan Yantra

d. Rooksha Svedan Yantra

e. Vaman Yantra

f. Vasti Yantra

g. Sirodhara Yantra

h. Sirovasti Yantra

i. Electric Geyser

6.2 List of Equipments for Kshaar Sootra Institutions-

a. Proctoscopes of Various sizes

b. Artery forceps of Various sizes

c. Mosquito forceps of Various sizes

d. Needle - Holding Forceps of Various size

e. Anal- Dilator/ Retractor

f. Surgical Cautery

g. Necessary Probes

h. Curator

i. Surgical Blades of Various sizes

j. Blade Handle

k. Scissors of Various sizes

l. Sponge Holding Forceps

m. Needle Forceps

n. Suction Machine

o. Stitch Cutter

p. Surgical Tray

6.3 List of Equipments for Yoga and Naturopathic Institution-

a. Steam Bath Apparatus

b. Sun Bath Apparatus

c. Enema set

d. Spinal Bath tub

e. Hot and cold Hip bath tub

f. Full Bath tub

g. Massage Table

h. Hot and cold Fomentation Apparatus

i. Foot Bath Apparatus

7. Requirement of Human Resource in case of Ayush Hospitals : Hospitals offering Super-Speciality/Multi-Speciality Services must have specialists in the relevant discipline either on their pay roll or as a panellist. The minimum qualification required for such specialists shall be as indicated in the table of clause 7 of Part E of this Schedule.

7.1 Resident Medical Officers/General Duty Medical Officers- Every Hospital / Nursing Home must have at least one Resident Medical Officer / General Duty Medical Officer for every 20 beds.

7.2 Nursing staff and other supportive staff- Minimum nursing and other support staff shall be in the ratio indicated below:

S. No	Category of staff Available in Hospital*	For How many patients	Number to be provided
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nurse/midwife/ panchkarm sahayak/Kshaar sutra Sahayak	20 beds or its part	1
2.	General Duty Attendant	20 beds or its part	1
3.	Sweeper	10 beds or its part	1
	*This is on 8 hourly basis(per shift)		

8. Physical Standards :

SPECIFICATION OF AREAS FOR CLINICAL ESTABLISHMENT

S. No.	Item	Minimum Area Required
(1)	(2)	(3)
1.	Minimum floor space per bed in ward	100 sq. ft. for one bed and additional 60 sq. ft. for every additional bed in the room
2.	Minimum distance between two beds	6 ft.
3.	Minimum clearance between bed and wall	60 mm
4.	Bath and Toilet	36 sq. ft.
5.	Number of Toilets and Baths	1 per 6 bed
6.	Number of Wash Basins	1 per 10 bed
7.	Sterile zone	140 sq ft(only applicable for Kshar Sutra /institution)
8.	Area for Instrument Sterilization	50 sq. ft. (only applicable for Kshar Sutra /institution)
9.	Area for pantry (Nursing Home having more than 20 beds)	80 sq. ft.
10.	Doctor's duty room	100 sq. ft.(with toilet)
11.	Nurses Station	100 sq. ft.(with toilet)
12.	Ward Store	100 sq. ft.

9. Emergency Medical Services :

9.1 Every Ayush Hospital, where registered medical practitioners are engaged, must primarily attend the emergency patients and provide basic life support without considering the financial ability of the patient, and then refer, if necessary, to the nearest private/public hospital with suitable medical report about the ailments, as early as possible. Standard Treatment Protocols shall be followed during emergency treatment.

9.2 Every Ayush Hospital shall have all logistics for basic emergency life support with trained medical and paramedical personnel.

9.3 Every Ayush Hospital shall ensure that they must prescribe rational drugs to their patients and follows the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940) shall be followed.

9.4 Every Ayush Hospital has a professional obligation to extend its services with due expertise for protecting life in emergency or in disaster.

10. Waste Disposal.- The Disposal of wastes in the hospital shall be in accordance with Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rule, 1998. Provisions shall be made for segregation and safe disposal of biomedical wastes, sharp tools and syringes either by their own resources or through tie-up with Common Biomedical Waste Treatment Facilities."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.